


न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

..... बनाम

22/2/21

वकील वारी उपर। वकील वारीया
ने प्राप्ति पर किया। प्राप्ति प्राप्ति
प्राप्ति पर प्राप्ति वकील को (सुनना)
वारीया उक्त मुकदमे में कोई कार्यवाही
नहीं चाहती है तथा उक्त वाद को विज्ञा
करवाना चाहती है वारीया उक्त वाद
को विज्ञा करवाते हुए नवीन वाद प्रस्तुत
काने की अनुमति चाहती है अतः
वारी का प्राप्ति पर स्वीकार करते
हुए मौजूदा वाद को विज्ञा किया जाता
है तथा नवीन वाद काने की अनुमति
प्रदान करते हुए वाद वारी विज्ञा
किया जागा है पणवारी नाम है
कह होना वाद वकील वारी
दस्तावे। (सुनना)


सहायक कलक्टर
अलवर

